न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक निग. 4109/पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 24.01.2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक 402/अपील/2013-14.

इन्दर सिंह पुत्र श्री बोन्दर सिंह
निवासी श्रमिक कॉलोनी, ग्राम राऊ,
तहसील व जिला इंदौर, म.प्र. ....आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती लीलाबाई बेवा स्व. श्री प्रेमसिंह सोलंकी
निवासी ग्राम मांगलिया, तहसील हातोड़,
जिला इंदौर, म.प्र. ....अनावेदक

श्री लखन सिंह धाकड़, अभिभाषक, आवेदक
श्री टी.टी. गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/9/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 24.01.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार, हातोद के समक्ष संहिता की धारा 115-116 के अंतर्गत एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक के मालिकी व स्वत्व की कृषि भूमि ग्राम मांगलिया (अरनिया) तहसील हातोद की सर्वे नम्बर 75 रकबा 0.380 हैक्टेयर अनावेदक के नाम से राजस्व अभिलेख में अंकित है। उक्त कृषि भूमि के संबंध में बिना किसी अधिकार, हक, विलेख के राजस्व अधिकारी द्वारा त्रुटिपूर्ण जानकारी के आधार पर प्रकरण क्रमांक 03/अ-74/2008-09 दर्ज कर अनावेदक का नाम राजस्व खाते से कम कर कुन्दनसिंह पिता शंकर सिंह संरक्षक शंकरसिंह पिता रायसिंह राजपूत का नाम दर्ज कर दिया गया है,

जो कि पूर्ण रूप से त्रुटिपूर्ण होकर उक्त कृषि भूमि के संबंध में उसे कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं हैं। तहसील कार्यालय सांवेर एवं हातोद से प्रकरण क्रमांक03/अ-74/2008-09 की जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि यह प्रकरण दर्ज ही नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक का नाम पूर्ववत् कायत किया जाये। तहसीलदार, हातोद द्वारा प्रकरण क्रमांक 27/अ-6-अ/11-12 दर्ज किया जाकर दिनांक 22.02.2013 को आदेश पारित करते हुए प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक का नाम दर्ज कर वर्ष 2008-09 की स्थिति पूर्ववत अविलम्ब कायम किये जाने का आदेश दिया गया। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, हातोद के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 24.06.2014 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 24.01.2015 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित् आधार उठाये गये हैं-

(1) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालयमें संशोधन आवेदन अभिलेखीय त्रुटि के एक वर्ष के अंदर प्रस्तुत किया जाना था, जो कि नहीं किया गया साथ ही विचारण न्यायालय द्वारा मुख्य पक्षकार को नहीं सुनना, उसके अधिकारों की अवहेलना करने के समान होने से अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

(2) अधीनस्थ तहसील न्यायालय द्वारा जो आदेश दिया गया था, उस आदेशानुसार आशीष पिता बनेसिंह का नाम भू-अभिलेखों से विलुप्त कर अनावेदिका का नाम दर्ज किया जाना था, जबकि आदेश दिनांक 22.02.2013 के पूर्व ही राजस्व अभिलेख में इन्दरसिंह पिता बोंदरसिंह का नाम भू-अभिलेखों में आशीष पिता बनेसिंह के नाम के स्थान पर दर्ज हो गया था। इस प्रकार इन्दरसिंह पिता बोंदरसिंह के विरूद्ध कोई आदेश पारित ही नहीं हुआ तो फिर कैसे इन्दरसिंह पिता बोंदरसिंह के नाम के स्थान पर अनावेदिका का नाम भू-अभिलेखों में दर्ज किया जा सकता है अर्थात् आदेश का पालन ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध किया गया, जिसके विरूद्ध आदेश पारित ही नहीं हुआ था साथ ही अधीनस्थ न्यायालय में जो व्यक्ति पक्षकार ही नहीं

बनाया गया, उस व्यक्ति के विरूद्ध आदेश का पालन कैसे किया जा सकता है। इस प्रकार प्रारंभ से ही आवेदक के विरूद्ध हुआ ही नहीं था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश पूर्णत: विधि विधान के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है अन्यथा भी अनावेदिका को तहसीलदार के समक्ष आवेदक को पक्षकार बनाना था, लेकिन उसके द्वारा कुंदनसिंह व आशीष को ही पक्षकार बनाया, यह जानते हुए भी विवादित भूमि पर शासकीय अभिलेख में आवेदक का नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज हो चुका है।

(3) अनावेदिका के नाम के स्थान पर कुंदनसिंह पिता शंकरसिंह का नाम त्रुटिवश दर्ज हुआ माना जाये तो फिर कुंदनसिंह पिता शंकरसिंह के विवादित भूमि का आधिपत्य कैसे प्राप्त हुआ। साथ ही केवल अनावेदिका के कथनों पर विश्वास कर आदेश अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण क्र. 03/अ-74/2008-09 की ना तो जांच की गई और ना ही प्रकरण को अपने न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु कोई कार्यवाही ही की और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को फर्जी किस आधार पर माना गया, यह भी स्पष्ट नहीं है। साथ ही यदि अधीनस्थ न्यायालय यह मानता है कि ऐसा कोई प्रकरण था ही नहीं तो फिर तत्कालीन पटवारी तथा तहसीलदार के विरूद्ध क्यों कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा मात्र अनावेदिका के कथन पर विश्वास किया गया ना कि स्वयं ही प्रकरण को आधारविहीन माना गया, लेकिन यह जांच नहीं की कि कैसे अनावेदिका के पास आधिपत्य पृथक हुआ और क्यों हुआ। इसके अतिरिक्त तहसीलदार के समक्ष उक्त पंजी व रजिस्टर्ड भी तलब नहीं किया गया, जिसमें उक्त प्रकरण क्रमांक का पंजीयन होना या ना होना वर्णित था तथा इस संबंध में भी जांच नहीं थी कि उक्त प्रकरण में दर्शाया गया प्रकरण क्रमांक किस पक्षकार का है, तब यह निष्कर्ष दिया जाना कि उक्त आदेश दिनांक 03.01.2009 फर्जी है, पूर्णत: विधि विपरीत है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा संपूर्ण वैधानिक तथ्यों की अनदेखी करते हुए आदेश पारित किए गये हैं, जो कि निरस्त किए जाने योग्य है।

(4) न्यायालय प्रकरण क्रमांक 03/अ-74/2008-09 आदेश दिनांक 03.01.2009 के संबंध में अनावेदिका के द्वारा किये गये कथनों तथा प्रस्तुत दस्तावेजों पर विश्वास कर लेना न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा स्वयं भी उक्त आदेश तथा प्रकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए थी तथा तत्कालीन हल्का पटवारी से इस संबंध में जवाब मांगना चाहिए था तथा उपर्युक्त कार्यवाही करनी चाहिए थी तथा यह भी पता करना था कि अनावेदिका लगभग 4 वर्ष बाद किस आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रही है। उक्त सभी

वैधानिक तथ्यों की अनदेखी अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा की गई है, जिससे भी अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

(5) आवेदक द्वारा अपीलीय न्यायालयों के समक्ष लिखित तर्क में वर्णित समस्त तर्क के आधार पर अपने अपील मेमो में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किये गये, लेकिन दोनों अपीलीय न्यायालय द्वारा आवेदक की अपील मेमों में वर्णित तर्क पर विचार नहीं किया गया।

(6) आवेदक द्वारा इस निगरानी को प्रस्तुत करने में लगे विलंब को क्षमा किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के समर्थन में अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है तथा प्रार्थना पत्र में दर्शाये गये कारण को सद्भावित मानते हुए विलंब क्षमा किये जाने योग्य है, जिससे कि प्रकरण का निराकरण गुण-दोषोंपर किया जा सके।

अतः उनके द्वारा निगरानी स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.01.2015, 24.06.2014 एवं 22.02.2013 निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर, अनुविभागीय अधिकारी तथा तहसीलदार, हातोद द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है। यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय ने बिना सक्षम आदेश के की गई अवैध कार्यवाही को सुधारा है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है । अतः तहसीलदार द्वारा उक्त त्रुटि को संहिता की धारा 115 में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत दुरूस्त करते हुये प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक का नाम लागू करने में कोई त्रुटि नहीं की गई । अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है । इस संबंध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :-

"धारा 50 - तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष - पुनरीक्षण में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं ।"

उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-1-2015 नीतिगत एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-1-2015 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर